सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22

सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं
बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(Email :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033/2227725)

कार्यालय
ग्राम पंचायत- जावली का बाढ़ प.स.बसवा जिला
GPS Map Camera
Baswa, Rajasthan, India
5H5G+78J, Baswa, Rajasthan 301408, India
Lat 27.157948°
Long 76.576038°
11/12/22 11:30 AM GMT +05:30
Google

FHPM+HPJ, Bhainsali,
Rajasthan 331301, India
15 Dec 2022 01:22 PM
clear sky
23.0 °C
Google

FHPM+HPJ, Bhainsali,
Rajasthan 331301, India
14 Dec 2022 01:05 PM
clear sky
24.0 °C
Google

राजस्थान सरकार

Society for Social Audit
Accoutability & Transparency
(SSAAT), Rajasthan

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021–2022

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033/2227725)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT) का गठन	1
3.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के उद्देश्य	1
4.	सोसायटी (SSAAT) की संरचना (Set Up)	2
5.	सोसायटी (SSAAT) में वर्ष 2021–22 में सम्पन्न कार्य	5
6.	सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं	9
7.	सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन	9
8.	लेखे एवं अंकेक्षण	10
9.	परिशिष्ट–1 मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 27 जून 2019	13
10.	परिशिष्ट –2 सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र	13
11.	परिशिष्ट –3 सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन	14

1. प्रस्तावना :–

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार–विमर्श, जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य कई सरकारी योजनाओं के संबंध में भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाने बाबत् विधिक प्रावधान/प्रशासनिक निर्देश हैं। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गाँधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन–ग्रमीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना तथा चौदहवें तथा पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा हैं।

2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन :–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-Vii/pt. दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 (परिशिष्ट–1)की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 (परिशिष्ट–2) है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना, राजस्थान राज–पत्र साधारण में दिनांक 19.09.2019 को प्रकाशित की गई है।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य (Objectives) :–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और गहन रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाये। सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी हित धारकों (Stake Holders) द्वारा बनायी रखी जाए।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

i. राजस्थान में निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना ।

ii. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया सरकारी प्रशासन और कार्यान्वयन एजेन्सी की मुख्यधारा से स्वायत्तता बनाये रहे।

iii. महात्मा गांधी नरेगा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों और राजस्थान में ग्रामीण लोगों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को जिम्मेदार होना।

iv. सरकारी योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए जमीनी स्तर (सिविल सोसायटी और नागरिक दोनों) पर क्षमता का निर्माण करना।

v. सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संसाधन आधार तैयार करने के साथ–साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रकियाओं का विकास करना।

4. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना (Set up):-

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-11033/50/2010-MGNREGAS Pt. 2 दिनांक 11.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (Governing Body) के दिशा निर्देशन में होगा जिसका विवरण सोसायटी के नियम एवं विनियमों के बिन्दु संख्या 14,15 में वर्णित है।

(क) शासी निकाय (G.B.):–

शासी निकाय (G.B.) के पदाधिकारी/सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Name of Post	Designation
1	श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि.	उपाध्यक्ष
3	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	सदस्य
4	प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
5	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान	सदस्य
6	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान	सदस्य
7	शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,	सदस्य सचिव
8	आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना	सदस्य
9	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
10	निदेशक, SSAAT	सदस्य
11	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
12	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
13	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य

शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 26.11.2019 एवं द्वितीय बैठक 29.12.2020 को श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष शासी निकाय (G.B), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में किया गया है।

(ख.) कार्यकारी समिति (Executive Committee):–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) शासी निकाय के निर्देशों की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता किया गया है।

कार्यकारी समिति (Executive Committee) के पदाधिकारी/सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Name of Post	Designation
1.	अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास राजस्थान	उपाध्यक्ष
3.	शासन सचिव, वित्त (बजट)	सदस्य
4.	शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
5	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6.	आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान	सदस्य
7.	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य सचिव
9.	उप निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य
10.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
11.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
12.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
13.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
14.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
15.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
16.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की तीन बैठकों का आयोजन श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह अध्यक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में निम्नानुसार किया जा चुका है।

बैठक	दिनांक
प्रथम	24.02.2020
द्वितीय	29.07.2020
तृतीय	25.11.2020
चतुर्थ	06.06.2021

(ग.) <u>सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधनः–</u>

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों/ कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों की स्वीकृत तथा वास्तव में कार्यरत मानवश्रम की स्थिति दिनांक 31.03.2022 के अनुसार सोसायटी में 41 पद स्वीकृत है जिसमें से 10 पद रिक्त है तथा 17 पद संविदा पर कार्यरत है। शेष पदों पर नियमित कर्मचारी कार्यरत है विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रसं	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत		रिक्त पद	विशेष विवरण
			नियमित	संविदा		
01	निदेशक	1	1	–	–	
02	उप निदेशक	1	1	–	–	
03	लेखाधिकारी	2	1	1	–	
04	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	4	3	–	1	
05	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	8	1	6	1	
06	कनिष्ठ लेखाकार	4	4	–	–	
07	प्रोग्रामर	1	1	–	–	
08	सहायक प्रोग्रामर	2	–	–	2	
09	सूचना सहायक	5	–	–	5	
10	निजी सचिव	1	–	1	–	
11	निजी सहायक/ स्टेनो	1	–	–	1	
12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	–	1	–	
13	लिपिक ग्रेड–II	2	2	–	–	
14	सहायक कर्मचारी	4	–	4	–	
15	मैन–विद–मशीन	4	–	4	–	
	कुल योग	41	14	17	10	

सामाजिक अकेक्षण हेतु स्वीकृत पदो की स्थिति निम्नानुसार है :–

क.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	1	नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
2.	राज्य संसाधन व्यक्ति	6	नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
3.	जिला संसाधन व्यक्ति	99	नियुक्ति प्रक्रियाधीन है
4.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	1886	जिला स्तर पर रजिस्टर्ड है
5.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	35200	जिला स्तर पर रजिस्टर्ड है

उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 332200267 दिनांक 07.04.2022 द्वारा अनुमोदित है।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ 1, राज्य संसाधन व्यक्ति 6 तथा जिला संसाधन व्यक्ति 99, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति–1886 एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति–35200 लोगों की सेवाएं संविदा के आधार पर सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 (यथा संशोधित) शासी निकाय के स्तर से अनुमोदित है

5. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) में वर्ष 2021–22 में सम्पन्न कार्य :–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के नियम व विनियमों के राजपत्र दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित होने के उपरान्त नवीन सोसायटी (SSAAT) के द्वारा विधिवत कार्यारम्भ किया गया। इस क्रम में वर्ष 2021–2022 में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

I. सामाजिक अंकेक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं सामाजिक लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यो का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण ग्राम सभाओं का आयोजन पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक F.15 (17)PRD/Legal/SP/ ग्रामसभा/2010/3585 दिनांक 15.03.2020 द्वारा स्थगित किया हुआ है। जिसके कारण वर्ष 2020–21 एवं अप्रेल 2021 से जनवरी 2022 तक में नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं हो पाया है।

- राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 15(08)पंरावि/विधि/सा.अ./2022/183 दिनांक 1.3.2022 द्वारा ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य के 33 जिलों में सोसायटी द्वारा माह मार्च,2022 से महात्मा गॉधी नरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2019–20 की द्वितीय छःमाही की बकाया 1175 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019–20 की द्वितीय छमाही, वर्ष 2020–21 की दोनो छमाही एवं वर्ष 2021–22 की प्रथम छमाही का नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

II. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन पर रोक के कारण सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11015/03/2020/RE-III 371554 दिनांक 15.07.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अनुमोदन अनुसार आदेश क्रमांकः फ61(110) SSAAT/Conc. SA Calendar/20-21/2018 दिनांक 09.12.2020 (आदेश संख्या 11/2020) द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किया गया है।

सोसायटी द्वारा वर्ष 2021–22 में महात्मा गॉधी योजना अन्तर्गत माह अप्रेल, 2021 से जनवरी, 2022 तक कॉविड के कारण 352 पंचायत समितियों की 11340 ग्राम पंचायतों का निम्नांकित विवरणानुसार नियमित सामाजिक अंकेक्षण के स्थान पर समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) (CSA) का कार्य समस्त जिलों की लगभग समस्त ग्राम पंचायतों में करवाया गया है :–

माह	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनका CSA कलैण्डर जारी	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनका CSA सम्पादित
अप्रेल, 2021	7041	3916
मई, 2021	5686	कोविड की द्वितीय लहर के कारण स्थगित
जून, 2021	1816	1496
जुलाई, 2021	3480	2656
अगस्त ,2021	5078	4659
सितम्बर, 2021	2865	2543
अक्टूबर, 2021	1363	1052
नवम्बर, 2021	1016	932
दिसम्बर, 2021	1408	1238
जनवरी, 2022	704	636

iii दक्ष प्रशिक्षकों के समूह की ट्रेनिग (TOT) :–

ग्रामीण विकास विभाग की सहमति एवं समन्वय से सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट एवं सामाजिक अंकेक्षकों (ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों) के प्रशिक्षण हेतु 150 ट्रेनर्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण माह मार्च 2022 में इन्दिरा गांधी पचायती राज एवं ग्रामीण संस्थान में करवाया गया।

viii सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं की वसूली का गत 3 वर्षों का विवरण :–

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के मध्य पूर्ववर्ती निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा निकाली गई वसूलियों में वसूली की 31.03.2022 तक की स्थिति निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22
नियमित सामाजिक अंकेक्षण से वसूली योग्य कुल राशि	142.00	97.76	91.97
वसूल की गई राशि	44.24	5.79	9.90
बकाया योग्य वसूली राशि	97.76	91.97	82.07

IX जिलेवार बकाया राशि का विवरण (दिनांक 31.03.2022)

जिलेवार दिनांक 31.03.2022 को बकाया रही वसूली योग्य राशियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. स.	जिले का नाम	31 मार्च,2021 का बकाया वसूली योग्य राशि	वर्ष 2021–22 में वसूल की गई राशि	31 मार्च,2022 का बकाया वसूली योग्य राशि
1.	अजमेर	5.52	3.30	2.22
2.	भीलवाड़ा	38.47	—	38.47
3.	बूंदी	1.63	0.19	1.44
4.	बीकानेर	2.41	0.20	2.21
5.	धौलपुर	0.43	—	0.43
6.	डूंगरपुर	27.99	2.04	25.95
7.	हनुमानगढ़	0.38	—	0.38
8.	करौली	2.18	—	2.18
9.	नागौर	3.42	2.00	1.42
10.	राजसमन्द	3.97	0.09	3.88
11.	टोंक	5.57	2.08	3.49
	कुल	91.97	9.90	82.07

6. सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं:-

I. <u>योजनाएं जिनका सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का निर्णय किया गया है :–</u>

श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष शासी निकाय की अध्यक्षता में आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में लिये गये निर्णय संख्या 1.8 एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं भारत सरकार के अ. शा.पत्रांक M-11015/37/2019-RE-III दिनांक 29.11.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(4)SSAAT/Conference/2019/7099 दिनांक 15.01.2020 के आदेशानुसार राज्य में निम्नलिखित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का निर्णय किया गया है –:

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGA)
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G)
3. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G)
4. मिड–डे–मील योजना
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
6. 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग (15th CFC)
7. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPM Rurban Mission)

मिड डे मील योजना कार्यकम का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने हेतु शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने अ.शा.टीप कमांक एफ 61(135) PDS /SSAAT /2021/ 3109/ दिनांक 16.08.2021 द्वारा सहमति प्रदान कर दी है।

7. सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन :

सोसायटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय सं.<u>3.5</u> की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन का अनुमोदन शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णय संख्या 2.5 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम (RTPP Act 2012 & Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) के नियमों के अंतर्गत **निदेशक, (SSAAT) को विभागाध्यक्ष** एवं **उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष** के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–1) के आदेश क्रमांक एफ1(8)ग्रावि/ ग्रुप–1/2013 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश जारी किये गये है, जिसके Appendix (परिशिष्ट–B) के संलग्नक (Annexure)–1 ख में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में कार्य सम्पादन हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

8. लेखे एवं अंकेक्षण (Accounts & Audit)

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने हैं।

भारत सरकार के मनरेगा वार्षिक मास्टर प्रपत्र (Annual Master Circular) 2020–21 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.6 के अंतर्गत राज्य सरकार को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में प्रशासनिक व्यय मद में से 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी 0.5 प्रतिशत राशि या योजना के प्रावधानानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रावधान हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के अंकेक्षित वार्षिक अन्तिम लेखों के अनुसार प्राप्तियों एवं भुगतानों तथा अवशेष राशि का विवरण

Receipt and Payment Account (Unaudited)				
For the Year ended 31st March 2022				
Receipts	**Amount (in RS.)**	**Payments**	**Amount (in RS.)**	
Opening Balance (Bank Balance)	**123484785.50**	**Salary and allowances to staff**		**13577451.00**
		Salary to Regular Staff	**11337408.00**	
Grant-MGNREGA-GOI	**0.00**	**Remuneration to Retired Contractual Persons**	**1969270.00**	
Grant-SBM GOI	**620000.00**	**Staff Medical Expenses**	**142997.00**	
Exam Fees For BRP/DRP Vacancy	**2115800.00**	**Travelling Allowance**	**127776.00**	
Tender fees	**500.00**			
Bank Interest-MGNREGA-GOI	**1658197.00**	**Concurrent Social Audit Expenses (CSA)**		**40135150.00**
Bank Interest-on FDR	**52063.00**	**Regular Social Audit Expenses**		**-**
Security Deposit and PG money received	**22941.00**			
Misc Income	**1.00**	**Contractual Expenses For:-**		**1266637.00**
Sundry liability	**31304.16**	**Machine With Man**	**481329.00**	
		peon	**388658.00**	
		Vehicle Hiring Charges	**396650.00**	

		Other Expenses (other than salary and allowances		726351.06
		Audit Expenses	47200.00	
		Telephone Expenses	46752.00	
		Misc Office Expenses	14551.00	
		Advertisement Expenses	335667.00	
		Editing and photography Expenses	24500.00	
		Printing and Stationery Expenses	117341.00	
		Meeting Expenses	10097.00	
		Travelling Expenses	37071.00	
		Repair and Maintenance	38600.00	
		Postage and Stamp Expenses	36520.00	
		Newspaper Expenses	4530.00	
		Live Testing	11309.56	
		Annual Report Expenses	0.00	
		Bank charges	2212.50	
		Salary of Sohan Agarwal-A/C –MGNREGA,GOR		1022839.00
		Fixed Assets Purchased (Capital exp.		
		Furniture		34810.00
		Printer		0.00
		Laptop		179996.00
		Advance give to Sitaram Shukla		10000.00
		Security Deposit		0.00
		Closing Balance		6032357.60
		Saving Bank Account-SBI Sectt Branch A/C No 00000038872762396		
		FDR with SBI		65000000.00
Total	127985591.66	Total		127985591.66

Balance Sheet (Unaudited)					
As at 31st March 2022					
Liabilities	**Amount (In Rs)**		**Assets**	**Amount (in Rs)**	
MGNREGA,GOI FUND A/c as on 01.04.2021 b/f	121031850.50	71681530.00	**Fixed Assets (At Cost)**		290905.00
Less: Amount Utilised for this year	-49350320.50		Laptop	226995.00	
			Furniture	34810.00	
MGNREGA,GOR		1400850.00	Printer	29100.00	
Outstanding Liabilities of Expenses		62815.60	**Current Assets**		72904631.60
- Concurrent Social Audit Expenses Liability	3600.00		Security Deposits given to RRSUSL	10000.00	
-Cheque issued but not yet Presented	25473.00		Balance With Bank	6057830.60	
-D P & Associates Chartered Accountant	932.00		Balance in FDR,s With Bank	66610154.00	
-Azadi Program	918.00				
-Ramavtar Sharma	588.00		Advances Given:		
-Sundry Liability	31304.60		-Sitaram Shukla	10000.00	
			-Durga Lal	240.00	
Performance Guarantee and Security Deposit Payable		50341.00	-RRSUSL	400.00	
			TDS Deducted on FDR	216007.00	
Total		73195536.60	**Total**		73195536.60

इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।

हालांकि आवश्यक होने पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना अनुज्ञेय है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही प्रभारित किया जा रहा है।

संस्था को प्राप्त होने वाली राशियाँ एक बैंक खाते में रखी जाती है। इस हेतु सोसायटी का खाता सं 38872762396 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में संधारित है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय के निर्णय सं. 2.9 में अनुमोदन अनुसार सोसायटी के लेखों का नियंत्रक महालेखाकार (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अंकेक्षण कराये जाने का निर्देश हैं।

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2021–22 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–1

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा
49/2019

दिनांक 26 जून 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11 (8) ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंक./2015 दिनांक 19.06.2019 पर विचार–विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

डी. 49/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक: 27 जून 2019

परिशिष्ट–2

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग·Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र/Registration Certificate

क्रमांक S.No. : COOP/2019/JAIPUR/104900 दिनांक Date 20-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाईटीज एक्ट 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण–पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.

(परिशिष्ट–3)

सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान रखा गया है:–

शासी निकाय
पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राजस्थान
पदाधिकारी एवं सदस्यगण

↓

कार्यकारी समिति
(पदेन अध्यक्ष अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

↓

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
(पदेन सदस्य सचिव, GB, SSAAT)

↓

निदेशक (1)

↓

उपनिदेशक (1)

↓

लेखाधिकारी (2)	सहा. प्रशासनिक अधिकारी (1)	प्रोग्रामर (1)	निजी सचिव (1)	सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1)
सहा. लेखाधिकारी–I (4)	कनिष्ठ सहायक (2)	सहा0 प्रोग्रामर (2)	निजी सहायक/स्टेनो (1)	राज्य संसाधन व्यक्ति (6)
सहा. लेखाधिकारी–II (8)	सहा. कर्मचारी (4)	सूचना सहायक (5)		जिला संसाधन व्यक्ति (99)
क. लेखाकार (4)	मैन–विद–मशीन (4)			ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1886)
				ग्राम संसाधन व्यक्ति (35200)

Google
GH2M+VW6, Bhainsali,
Rajasthan 331301, India
16 Dec 2022 12:04 PM
clear sky
24.0 °C

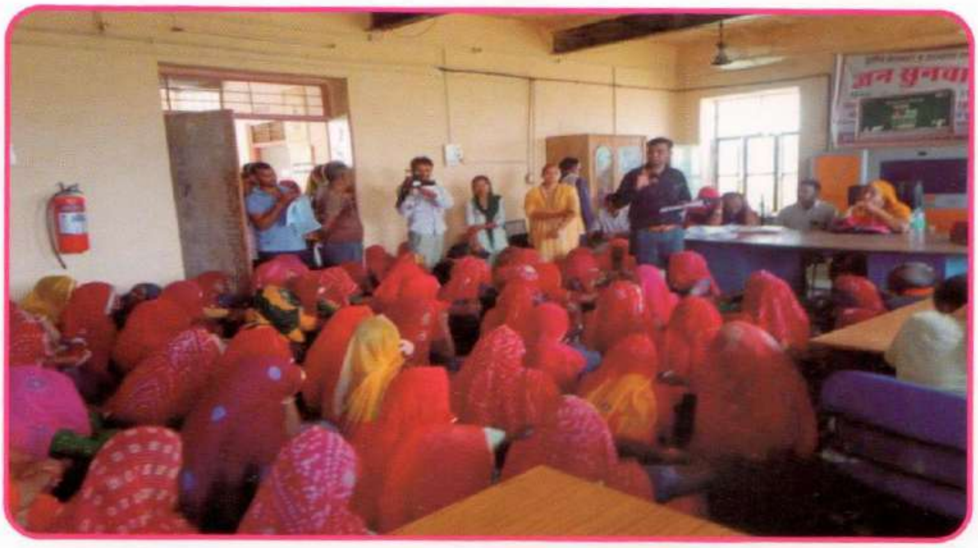

Printed by Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur Ph. : 01412751352